



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072022-237269
CG-DL-E-13072022-237269

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3021]
No. 3021]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2022/आषाढ़ 22, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2022/ASHADHA 22, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

का.आ. 3179(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तरप्रदेश राज्य के गौतमबुद्धनगर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप जिला अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (इन्टीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब दादरी को वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के नया दादरी स्टेशन से रेल कनेक्टिविटी देने हेतु) जिला गौतमबुद्धनगर में अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित, संक्षिप्त विवरण:-

जिला—गौतमबुद्धनगर,

राज्य—उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	दादरी	दादरी	दादरी	1801	0.0361	कृषि भूमि
				1802	0.1810	कृषि भूमि
				1803	0.0396	कृषि भूमि
				1804	0.0449	कृषि भूमि
				1805	0.0432	कृषि भूमि
				1818	0.0312	कृषि भूमि
				1819	0.0555	कृषि भूमि
				1822	0.0026	कृषि भूमि
				1821	0.0214	कृषि भूमि
				1900	0.0997	कृषि भूमि
				1899	0.1114	कृषि भूमि
				1897	0.0374	कृषि भूमि
				1898	0.1045	कृषि भूमि
				1895	0.1610	कृषि भूमि
				2338	0.0258	कृषि भूमि
				2340	0.1453	कृषि भूमि
				2526	0.0663	कृषि भूमि
				2537	0.0016	कृषि भूमि
				2539	0.0009	कृषि भूमि
				2532	0.0650	कृषि भूमि
				2534	0.0715	कृषि भूमि
				योग	1.3459	
(2)	दादरी	दादरी	कटैहरा	34	0.0050	कृषि भूमि
				44	0.0741	कृषि भूमि
				45	0.0016	कृषि भूमि
				93	0.0057	कृषि भूमि
				92	0.0303	कृषि भूमि
				89	0.0140	कृषि भूमि
				88	0.0370	कृषि भूमि
				योग	0.1677	

				कुल योग	1.5136	
--	--	--	--	---------	--------	--

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2326]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2022

S.O. 3179(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Deputy Collector, Gautambudhnagar Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district Gautam Budh Nagar for the purpose of Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor (to provide rail connectivity to integrated Multi Model logistic hub at Dadri with new Dadri Station of Western Dedicated freight Corridor) in the State of Uttar Pradesh.

Name of the District- Gautam Budh Nagar**Name of the State-Uttar Pradesh**

Serial Number	Tehsil	Pargana	Name of the Village	Survey Number	Area Propose for land Acquisition (in hectares)	Nature of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Dadri	Dadri	Dadri	1801	0.0361	Agricultural
				1802	0.1810	Agricultural
				1803	0.0396	Agricultural
				1804	0.0449	Agricultural
				1805	0.0432	Agricultural
				1818	0.0312	Agricultural
				1819	0.0555	Agricultural
				1822	0.0026	Agricultural
				1821	0.0214	Agricultural
				1900	0.0997	Agricultural
				1899	0.1114	Agricultural
				1897	0.0374	Agricultural
				1898	0.1045	Agricultural

				1895	0.1610	Agricultural
				2338	0.0258	Agricultural
				2340	0.1453	Agricultural
				2526	0.0663	Agricultural
				2537	0.0016	Agricultural
				2539	0.0009	Agricultural
				2532	0.0650	Agricultural
				2534	0.0715	Agricultural
				Total	1.3459	
(2)	Dadri	Dadri	Katehra	34	0.0050	Agricultural
				44	0.0741	Agricultural
				45	0.0016	Agricultural
				93	0.0057	Agricultural
				92	0.0303	Agricultural
				89	0.0140	Agricultural
				88	0.0370	Agricultural
				Total	0.1677	
				Grand Total	1.5136	

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2326]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)